

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-4/2019/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय - राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति।

-----

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2018/नियम/चार, दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों आदि से राज्य शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 ( पाँचवाँ वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 27 सितम्बर 2019 से क्रमशः 1007% एवं 200% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2/ राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते में अक्टूबर 2021 से 8% की वृद्धि की गई है। अतः पैरा-1 में वर्णित कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की दृष्टि से निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

| अवधि जब से देय है   | मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह  |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <b>म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में वेतन पाने वाले,</b><br>दिनांक 01.10.2021 से (माह अक्टूबर, 2021 का वेतन जो नवम्बर, 2021 में देय होगा)                                 | मूल वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन<br>(यदि कोई हो)<br>(1007+79) कुल 1086% |
| <b>50% मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित -म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998.</b> दिनांक 01.10.2021 से (माह अक्टूबर, 2021 का वेतन जो नवम्बर, 2021 में देय होगा) | वेतन+ मंहगाई वेतन के योग<br>(200+21 ) कुल 221%                     |

3/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ा जावेगा।

निरंतर.....2

१

- 4/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।  
 5/ इन आदेशों के अंतर्गत देय मंहगाई भत्ते का भुगतान विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान से किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग  
 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 4-4/2019/नियम/चार  
 प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल, के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
14. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
15. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
16. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार )
17. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
 22/12/2021

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग